न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 192 / 2022 **GCMS 2022/396**

प्रार्थीगण

1. हणमानसिंह पुत्र विजेसिंह जाति राजपूत
2. रिछपालसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी सिडियास तहसील कुचामनसिटी जिला जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

प्रार्थना–पत्र शुद्वि बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक 28/08/2023

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सिडियास पटवार मण्डल पलाड़ा हिराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 61 रकबा 2.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 2.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 63 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 78 रकबा 2.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 79 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 80 रकबा 4.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 88 रकबा 5.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 89 रकबा 1.88 हैक्टर कुल रकबा 23.06 हैक्टर स्थित चली आ रही है, उपरोक्त भूमि में प्रार्थी हणमानसिंह का 208 / 1153 हिस्सा व प्रार्थी सं. 02 के पिताजी रिछपालसिंह के नाम 208 / 1153 हिस्सा भूमि दर्ज चली अ रही है, उपरोक्त भूमि में प्रार्थी सं. 02 के पिता का स्वर्गवास हो गया है व उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी सं. 01 व प्रार्थी सं. 02 के पिताजी की जाति राजपूत के स्थान पर मेघवंशी दर्ज हो गई जो कि तहसील कार्यालय में सेग्रिगेशन के दौरान की गई कार्यवाही में टंकणीय भूल हो गई जो कि गलत है, उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगणो कि जाति मेघवंशी के स्थान पर राजपूत दर्ज कि जावें इसलिए यह रिकार्ड शुद्वी हेतु प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त प्रकरण में वर्णित भूमि में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण कि जाति मेघवंशी के स्थान पर राजपूत जाति दर्ज की जावें इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गय है, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम सिडियास पटवार मण्डल पलाड़ा हिराणी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 61 रकबा 2.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 2.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 63 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 78 रकबा 2.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 79 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 80 रकबा 4.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 88 रकबा 5.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 89 रकबा 1.88 हैक्टर कुल रकबा 23.06 हैक्टर में प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के पिताजी की जाति मेघवंशी के स्थान पर राजपूत दर्ज की जावे के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित आये तथा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बन्द किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से नकल गिरदावरी 2067 की छाय प्रति, नकल खतौनी सम्वत 2075–2078 की प्रति, नकल पास बुक, राशन कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, मूल निवास प्रमाण की छाया प्रति, मूलसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की।

वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त खसरान में प्रार्थीगण की जाति मेघवंशी के स्थान पर राजपूत दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। हणमानसिंह मूलसिंह पि. विजेसिंह हि. 8.32 हैक्टर अन्य खातेदारान के साथ दर्ज है, नकल पास बुक में हणमानसिंह मूलसिंह पि. विजेसिंह ८.३२ हैक्टर जाति राजपूत दर्ज है, मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार मूलसिंह पुत्र विजयसिंह की दिनॉक 12.02.2016 को मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी अपनी जाति राजपूत अंकित की गई है। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की जाति सहवन से ही राजपूत के स्थान पर मेघवंशी दर्ज हुई है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर निम्नवत आदेश दिये जाते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सिडियास पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खाता संख्या 93 खसरा नम्बर 58, 61, 62, 63, 64, 78, 79, 80, 88, 89 कुल रकबा 23.06 हैक्टर में दर्ज प्रविष्टि खातेदार मूलसिंह पुत्र विजेसिंह हिस्सा 208/1153 जाति मेघवंशी सा. पलाड़ा खातेदार के स्थान पर मूलसिंह पुत्र विजेसिंह हिस्सा 208/1153 जाति राजपूत सा. पलाड़ा खातेदार तथा हणमानसिंह पुत्र विजेसिंह हिस्सा 208/1153 जाति मेघवंशी सा. पलाड़ा खातेदार के स्थान पर हणमानसिंह पुत्र विजेसिंह हिस्सा 208/1153 जाति राजपूत सा. पलाड़ा खातेदार शुद्व प्रविष्टि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनॉक 28/08/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested